

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
--संकल्प--

श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को कार्य प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत कोरिहारी नदी पर पुल निर्माण के डीपीआर में आवश्यकता से अधिक लम्बाई का प्रावधान करने एवं सरकारी राशि का अपव्यय करने के मामले में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1204 दिनांक 06.04.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1240 दिनांक 06.04.2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-1149-सह-पटित ज्ञापांक 1150 दिनांक 23.05.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. साथ ही इससे पूर्व श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 193 दिनांक 23.01.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन अवधि में जीवन यापन भत्ता के अलावा कोई अन्य वेतन भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा, का आदेश निर्गत किया गया।

3. श्री अशोक कुमार द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका (C.W.J.C No-7026/2018, अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। उक्त C.W.J.C No-7026/2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पारित न्यायादेश में उक्त दंडादेश एवं निलंबन अवधि के विनियमन संबंधी आदेश को निरस्त किया गया। उक्त न्यायादेश दिनांक 18.07.2019 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"11. In this view of the matter, this writ petition is allowed. Consequently, the notification contained in memo no. 193 dated 23.01.2018 as well as notification contained in memo no. 1149 dated 23.05.2018 passed by the Under Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna, are quashed."

4. वादी श्री अशोक कुमार द्वारा C.W.J.C No-7026/2018, अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 18.07.2019 के अनुपालन हेतु MJC No-5080/2019 दायर किया गया, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

5. प्रासंगिक वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश दिनांक 18.07.2019 के विरुद्ध विभाग द्वारा L.P.A No. 1586/2019, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2024 को पारित न्यायादेश में उक्त L.P.A को खारिज कर दिया गया। L.P.A. No-1586/2019 में पारित न्यायादेश दिनांक 03.04.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"2. The appellants-State have assailed the order of the learned Single Judge dated 18.07.2019 passed in CWJC No.7026 of 2018. Respondent-Executive Engineer was subjected to disciplinary proceedings on certain allegation insofar as execution of construction of bridge work. Inquiry Officer exonerated the respondent in the result Disciplinary Authority was required to invoke sub Rule 2 of Rule 18 of Bihar CCA Rules 2005. Perusal of annexure-7



notice, it is not crystal clear insofar as compliance to sub Rule 2 of Rule 18 of Bihar CCA Rules 2005. We find there is no infirmity in the impugned order dated 18.07.2019. In fact on technicalities impugned penalty order was set aside. There are no financial irregularities in the alleged charges so as to remand the matter to the disciplinary authority.

3. Learned counsel for the appellants submitted that there are no financial loss cause to the State exchequer in view of certain alleged misdeeds stated to have been committed by the respondent and it was subject matter of this lis. Therefore, it is not a case warranted for remand in the light of Hon'ble Supreme Court decision in the case of Managing Director, ECIL V. B. Karunakar reported in (1993) 4 SCC 727 read with Chairman-cum-Managing Director, Coal India Limited & Ors. V. Ananta Saha and Others reported in (2011) 5 SCC 142. Accordingly, the appellants have not made out a case. Hence, LPA stands dismissed.

4. Pending I.A(s), if any, stands disposed of."

6. वादी श्री अशोक कुमार द्वारा उक्त L.P.A. No-1586/2019 में पारित न्यायादेश दिनांक 03.04.2024 की प्रति उपलब्ध कराते हुए आदेश के आलोक में उक्त दंडादेश को निरस्त करते हुए आर्थिक एवं अन्य लाभों का भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

7. मामले में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभाग द्वारा L.P.A. No-1586/2019, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार में पारित न्यायादेश दिनांक 03.04.2024 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (civil) Diary No-1826/2025 दायर किया गया।

8. SLP (civil) Diary No-1826/2025, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 07.02.2025 को पारित न्यायादेश में SLP को निरस्त कर दिया गया।

9. उक्त SLP में पारित न्यायादेश दिनांक 07.02.2025 के आलोक में मामले में दंडादेश को निरस्त करने के संबंध में परामर्श/सहमति हेतु सचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा इस संबंध में निम्न परामर्श दिया गया:—

"After dismissal of SLP (civil) Diary No-1826/2025 vide order date 07.02.2025, there is no option left, but to farther with comply order of writ court dated 18.07.2019 in CWJC No-7026/2018 as affirmed in LPA No-1586/2019 vide order dated 03.04.2024"

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में SLP (civil) Diary No-1826/2025, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार में पारित न्यायादेश दिनांक 07.02.2025 एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के उक्त परामर्श के आलोक में प्रासंगिक C.W.J.C No-7026/2018, अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 18.07.2019 के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0-1093 दिनांक 20.11.2018 में निहित प्रावधान के तहत प्रश्नगत दंडादेश को निरस्त करने एवं निलंबन अवधि (दिनांक 06.04.2016 से 22.01.2018) को प्रत्येक प्रयोजन के लिए कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किये



जाने के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की गयी।

11. तदोपरान्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-1093 दिनांक 20.11.2018 में निहित प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विषयाधीन मामला विचारार्थ विधि विभाग की सहमति के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गयी। विधि विभाग द्वारा मामले को समिति के समक्ष रखे जाने पर सहमति प्रदान करते हुए दिनांक 02.06.2025 को बैठक संपन्न कराकर बैठक की कार्यवाही के साथ संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी। बैठक की कार्यवाही में समिति का निर्णय निम्नवत है:-

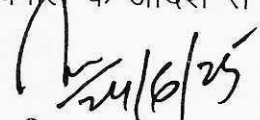
“समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सी०डब्लू०जे०सी० सं०-7026/2018, अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18.07.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रशासी विभाग के अधिसूचना सं०-1149-सह-पठित ज्ञापांक 1150, दिनांक 23.05.2018 द्वारा श्री अशोक कुमार के विरुद्ध संसूचित दंडादेश को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।”

12. उक्त के आलोक में सी०डब्लू०जे०सी० सं०-7026/2018, अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 18.07.2019 एवं समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार के विरुद्ध अधिसूचना संख्या-1149-सह-पठित ज्ञापांक 1150 दिनांक 23.05.2018 द्वारा संसूचित दंड को निरस्त करने एवं इनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन/लाभ सहित विनियमित करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

13. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के विरुद्ध अधिसूचना संख्या-1149-सह-पठित ज्ञापांक 1150 दिनांक 23.05.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vii) के तहत अधिरोपित शास्ति “कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति” को निरस्त किया जाता है तथा इनके निलंबन अवधि (दिनांक 06.04.2016 से 22.01.2018) को पूर्ण वेतन/लाभ सहित विनियमित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

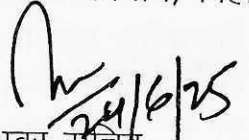
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

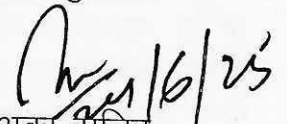
ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-39/2016 6727 /पटना, दिनांक:- 25-6-25

प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।


अवर सचिव

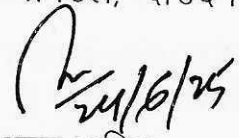
ज्ञापांक :-2/अ०प्र०-1-39/2016 6727 /पटना, दिनांक :- 25-6-25

प्रतिलिपि :-महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

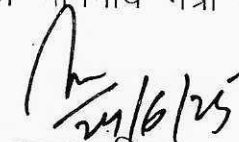
ज्ञापांक:-2/अ०प्र०-1-39/2016 6727 /पटना/दिनांक:- 25-6-25

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (स्थापना प्रभारी), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा/प्रशाखा पदाधिकारी-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-39/2016 6727 /पटना, दिनांक :- 25-6-25

प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव